



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

लोकसभा सभा पटल पर रखे जाने के लिए
To be laid on the table of Lok/Rajya Sabha

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) नई दिल्ली.....अधिप्रमाणित
PART II—Section 3—Sub-section (ii) New Delhi.....Authenticated
दिनांक.....राज्य मंत्री
प्राधिकार से प्रकाशित Date.....Minister of State
PUBLISHED BY AUTHORITY
विद्युत् एवं उद्योग मंत्रालय
Ministry of Commerce and Industry

सं. 1557]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 30, 2010/भावन 8, 1932

No. 1557]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 30, 2010/SHRAVANA 8, 1932

JYOTIRADITYA M. SCINDIA)

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)
(कागज अनुभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2010

का.आ. 1863(अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 (1951 कर 65) की धारा 18छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश, 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

- (1) इस आदेश को न्यूजप्रिंट नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2010 कहा जाए।
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश, 2004 की अनुसूची में,—

(1) देशी न्यूजप्रिंट विनिर्माताओं की मिल के नाम और अवस्थिति से संबंधित मद 4 में, क्रम सं. 106 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के परचात, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“107. मैसर्स लोहिया पेपर एवं बोर्ड प्राईवेट लिमिटेड, गाँव नियोनारा, बेरला, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ राज्य।”

[फा. सं. 4(21)/2008-कागज]

तल्लीन कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 1105(अ), तारीख 11 अक्टूबर, 2004 के तहत प्रकाशित किया गया था और भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 25 मार्च, 2010 के आदेश सं. का.आ. 685(अ) द्वारा बाद में संशोधित किया गया था।

2978 GI/2010

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)
(PAPER SECTION)

ORDER

New Delhi, the 29th July, 2010

S.O. 1863(E).—In exercise of the powers conferred by Section 18G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Newsprint Control Order, 2004, namely :—

- (1) This Order may be called the Newsprint Control (Amendment) Order, 2010.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Newsprint Control Order, 2004, in the Schedule,—

(1) In item 4 relating to the name of the Mill and Location of the indigenous newsprint manufacturers, after S. No. 106 and the entries relating thereto, the following shall be added, namely :—

“107. M/s. Lohia Paper and Board Private Limited, Village Neonara, Berla, Durg District in the State of Chhattisgarh.”

[F. No. 4(21)/2008-Paper]

TALLEEN KUMAR, Jt. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India vide No. S.O. 1105(E), dated 11th October, 2004, and subsequently amended vide Order No. S.O. 685(E) dated 25th March, 2010 published in the Gazette of India.